न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 131 / 2022 (GCMS : 2022/)

1. **निहालचंद पुत्र मनीराम** जाति बिश्नोई निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर — — — **प्रार्थी**

बनाम

1. **रामस्वरूप पुत्र सहीराम** बिश्नोई निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
2. **महेन्द्र कुमार पुत्र डूंगरमल** जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
3. **कमलेश पत्नी सतपाल** जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
4. **शुभम पुत्र सतपात** जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
5. **जगतपाल पुत्र सतपाल** जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
6. **माया देवी पुत्री डूंगरराम** पत्नी अशोक कुमार जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
7. **निर्मला पुत्री डूंगरराम** पत्नी लाजपत बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (वारिसान स्व. चावली पत्नी डूंगरराम बिश्नाई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर)
8. **स्टेट** ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

— — — **अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.10.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 2016 अनवानी चावली आदि बनाम स्टेट आदि अन्तर्गत धारा 251(क) का विचाराधीन था जिसमें पीठासीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने दिनांक 29.07.2022 को ही उनके न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया।

उनका आगे यह भी कथन था कि उनके द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष एक ट्रांसफर प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2022 को पेश किया हुआ है, का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में दिनांक 29.07.2022 को पेश किया था, परन्तु फिर भी पीठासीन अधिकारी ने उनके प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया, जो नहीं किया जाना चाहिए था।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2016 अनवानी चावली आदि बनाम स्टेट आदि अन्तर्गत धारा 251(क) को अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को ही उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा उनके उक्त प्रकरण पर निर्णय पारित किया जा चुका था, इसलिए प्रार्थी का यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 29.07.2022 को निर्णय पारित किया जा चुका है तथा जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर में अपील भी प्रस्तुत की जा चुकी है इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested

मैनें, उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायलाय में विचाराधीन प्रकरण 53/2016 अनवानी चावली आदि

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बनाम स्टेट आदि में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद न होने के कारण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से टिप्पणी प्राप्त की गई है, जो निम्नानुसार है :

> **उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि** प्रसांगिक पत्र द्वारा इस न्यायालय में विचराधीन प्रकरण 53/2016 अनवानी चावली आदि बनाम स्टेट आदि को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने बाबत प्रार्थी निहालचन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं पर पैरावार टिप्पणी भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।
>
> महोदय निवेदन है कि आपका पत्र इस कार्यालय को दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुआ है, जबकि प्रकरण संख्या 53/2016 चावली आदि बनाम सरकार आदि में दिनांक 29.07.2022 को निर्णय पारित किया जा चुका है। जिसकी अपील प्रार्थी निहालचन्द द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में की जा चुकी है। श्रीमान् **राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर के द्वारा उक्त पत्रावली प्र.स. 53/2016 चाहे जाने पर माननीय न्यायालय को पत्रावली प्रेषित की गई है।** प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2016 चावली आदि बनाम सरकार आदि में उनके द्वारा पूर्व निर्धारित दिनांक 29.07.2022 को निर्णय पारित किया जा चुका है और उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 29.07.2022 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील दायर की जा चुकी है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:31 IST
Reason: SelfAttested